राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
बी.टी.आई.परिसर, शंकर नगर, रायपुर

(Phone No. 0771-2443596 Fax No.0771-2443496)

Website:www.scert.cg.gov.in Email:scertcg@gmail.com

निविदा आवेदन–पत्र

"कक्षा 10 के प्रायोगिक संस्करण की पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु के मुद्रण/वितरण हेतु"

शिक्षा सत्र 2016–17

कार्यालय से

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि – 27.02.2016 अपराह्न 3:00 बजे

निविदा खोलने की तिथि एवं समय – 27.02.2016 अपराह्न 4:00 बजे

स्थान – राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का सभाकक्ष

कुल पृष्ठ संख्या : 26

// निविदा आवेदन पत्र //

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,

बी.टी.आई.परिसर, शंकर नगर, रायपुर

"कक्षा 10 के प्रायोगिक संस्करण की 6 पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु के मुद्रण एवं वितरण के लिए निविदा आवेदन-पत्र "

क्रमांक/............/निविदा आवेदन पत्र/ रायपुर, दिनांक ....

1. कक्षा 10 की हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु का मुद्रण एवं वितरण दो खंडों में किया जाना है। इसके प्रथम खंड का विवरण इस निविदा आवेदन-पत्र के भाग-2 में है, के मुद्रण एवं वितरण के लिए सील बंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जा रही है। प्रथम खंड हेतु निविदा में प्राप्त दरों के अनुसार द्वितीय खंड के मुद्रण एवं वितरण का कार्य मई-जून 2016 में किया जावेगा कृपया सील बंद लिफाफा के ऊपर निविदा आवेदन-पत्र का टाईटल, निविदा आवेदन-पत्र क्रमांक एवं दिनांक तथा निविदा खोलने की तिथि का उल्लेख करें ताकि निविदा आवेदन-पत्र अयोग्य घोषित न हो पाये।
2. निविदा आवेदन-पत्र जमा करने या इसके संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए विवरण निम्नानुसार है -
   a) निविदा आवेदन पत्र/प्रश्न संबोधित करना है - सहायक संचालक (प्रकाशन)
   b) डाक व्यवहार का पता - एस.सी.ई.आर.टी., छत्तीसगढ़, बी.टी.आई. परिसर, शंकर नगर, रायपुर
   c) संपर्क अधिकारी का नाम एवं पद - श्री एन.के.प्रधान, सहायक संचालक (प्रकाशन)
   d) संपर्क अधिकारी का मोबाईल नं. - 7587499911
   e) ई-मेल पता- scertcg@gmail.com/ फैक्स नं.- 0771-2443496
3. इस निविदा आवेदन पत्र के निम्नानुसार 5 भाग है -

   भाग 1 - सामान्य जानकारी

   भाग 2 - आवश्यक सामग्री/सेवाओं का विवरण

   भाग 3 - Standard and Special Conditions

   भाग 4 - पेनाल्टी एवं भुगतान

   भाग 5 - मूल्यांकन का मानदण्ड एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र।

4. यह निविदा आवेदन पत्र बिना किसी वित्तीय वचनबद्धता के जारी किया जा रहा है और क्रेता के पास किसी समय निविदा आवेदन पत्र के किसी भी भाग में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित है। क्रेता के पास, यदि किसी समय ऐसा करना आवश्यक हो, निविदा आवेदन पत्र वापस लेने का अधिकार भी सुरक्षित है।

भाग 1 – सामान्य जानकारी

1. निविदा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि :

दिनांक 27.02.2016 अपरान्ह 03.00 बजे तक

निविदा दो लिफाफा 'अ' एवं 'ब' में सील बंद जमा करना होगा।

लिफाफा 'अ' में **Annexure-I** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में तकनीकी निविदा, भाग–1,कंडिका 13 के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र, सुरक्षा निधि (भाग–1, कंडिका 12 में बताए अनुसार) एवं भाग–2, कंडिका 2(b) के अनुसार अभिलेख रखे जावे। लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों (Bold letters) में **तकनीकी लिफाफा–'अ'** लिखा जाए।

लिफाफा– 'ब' में **Annexure-II** के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय निविदा में रखा जावे। इस लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों (Bold Letters) में **वित्तीय लिफाफा– 'ब'** लिखा जावे।

2. निविदा आवेदन पत्र जमा करने की विधि :

सीलबंद निविदा आवेदन पत्र या तो इस हेतु संधारित निविदा बॉक्स में डाला जायेगा या पंजीकृत डाक से उपर्युक्त पते पर इस प्रकार से भेजा जायेगा कि निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त हो जाये। विलंब से प्राप्त निविदा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक में हुए विलंब, समय से डिलिवरी न होने या इस संबंध में किसी भी असुविधा के लिए परिषद् द्वारा जिम्मेदारी नहीं ली जावेगी। फैक्स या ई–मेल से भेजे गये निविदा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. निविदा आवेदन पत्र खोलने का समय एवं तिथि :

दिनांक 27.02.2016, अपराह्न 04:00 बजे,

अपरिहार्य कारणों से निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदा आवेदन पत्र नहीं खोले जाने की स्थिति में यह उस निर्धारित समय पर आगामी कार्यालयीन दिवस में या क्रेता द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खोला जायेगा।

4. **निविदा बॉक्स का स्थान :**

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ, बी.टी.आई. परिसर, शंकर नगर, रायपुर

गलत निविदा बॉक्स में डाले गए निविदा आवेदन पत्र को अयोग्य मान्य किया जायेगा।

5. **निविदा बॉक्स खोलने का स्थान :**

सभाकक्ष, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ,बी.टी.आई. परिसर, शंकर नगर, रायपुर

निविदादाता चाहे तो अपने प्रतिनिधियों को लिखित में अधिकृत कर सकता है जो निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदा आवेदन पत्र खोलते समय सभाकक्ष में उपस्थित रह सकते है। निविदादाताओं द्वारा भरे गये दर एवं महत्वपूर्ण वाणिज्यिक/तकनीकी कंडिकाये उपस्थित निविदादाताओं के प्रतिनिधियों के समक्ष पढ़कर सुनाया जायेगा। किन्तु यह कार्य आपके प्रतिनिधियों की उपस्थिति न होने पर टाला नहीं जायेगा।

6. **दो निविदा प्रणाली :**

ऊपर वर्णित आवेदन पत्र खोलने के समय एवं तिथि पर केवल लिफाफा 'अ' (तकनीकी निविदा) ही खोला जायेगा। तकनीकी निविदा स्वीकृत होने के बाद क्रेता द्वारा लिफाफा 'ब' (वित्तीय निविदा) खोलने की तिथि एवं समय के संबंध में सूचना दी जायेगी। केवल उन्हीं निविदादाताओं की वित्तीय निविदा खोली जायेगी जिनकी तकनीकी निविदा क्रेता के तकनीकी परीक्षण के दौरान उपयुक्त पायी गयी है।

7. **निविदा आवेदन पत्र का अग्रेषण :**

निविदादाताओं द्वारा अपने कार्यालयीन लेटर पैड पर TIN/VAT/ST Number, Bank Address, EFT Account, कार्यालय के डाक व्यवहार का पता एवं ई-मेल पता इत्यादि आवश्यक विवरण देते हुए निविदा आवेदन पत्र का अग्रेषण किया जायेगा।

8. **निविदा आवेदन पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण :**

निविदा आवेदन पत्र के किसी भी भाग के संबंध में शंका होने की स्थिति में निविदादाता निविदा आवेदन पत्र खोले जाने की तिथि से 7 दिन पूर्व तक लिखित में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

9. जमा किये गये निविदा आवेदन पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण :

निविदा आवेदन पत्र के मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार की शंका की स्थिति में क्रेता चाहे तो संबंधित निविदाकार से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। किन्तु ऐसी स्थिति में निविदा की दरों या अन्य किसी Substance में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगा।

10. निविदा आवेदन पत्र का अस्वीकार किया जाना :

निविदादाता द्वारा पक्ष प्रचार (Canvassing) या अपने निविदा को स्वीकार किये जाने या उसमें निविदा उपरान्त सुधार किये जाने के संबंध में अकारण (Unsolicited) पत्र भेजने पर सुरक्षा निधि की राशि राजसात करते हुए निविदा आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जा सकेगा। सशर्त निविदा आवेदन पत्र अस्वीकार किये जायेंगे।

11. निविदा दरों की वैधता :

निविदा आवेदन पत्र में भरी गई दरें निविदा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगी।

12. **सुरक्षा निधि (EMD) :** प्रत्येक निविदादाता को सुरक्षा निधि के रूप में लिफाफा 'अ' में **रू. 50,000/- (अक्षरी पचास हजार रू. मात्र)** का किसी भी सार्वजनिक बैंक या अनुसूचित बैंक (जैसे ICICI Bank, HDFC Bank एवं Axis Bank) का Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt, Banker's Cheque या Bank Guarantee संचालक,एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर के नाम जमा करना होगा। उक्त की वैधता निविदा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से दो माह की होगी। असफल निविदादाताओं के द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि निविदा की वैधता समाप्त होने के बाद वापस की जाएगी जबकि सफल निविदादाता द्वारा जमा कराई गई सुरक्षा निधि अनुबंध के समय उनसे परफार्मेंस गारंटी (Peformance Guarantee) प्राप्त होने के बाद वापस की जाएगी। निविदादाता द्वारा निविदा की वैधता अवधि में अपने निविदा को वापस लेने या सुधार करने या उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने पर या सफल निविदादाता के निर्धारित तिथि तक अनुबंध नहीं करने की स्थिति में यह सुरक्षा निधि की राशि स्वयंमेव जब्त हो जाएगी एवं संबंधित फर्म को पृथक से काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में बैंक गारंटी का प्रपत्र **Annexure-III** पर है।

13. शपथ पत्र :

निविदादाता का केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार के विभाग, शासकीय या अर्द्धशासकीय निकायों से किसी भी प्रकार या विधिक विवाद

या अन्य विवाद नहीं होने का, काली सूची में अंकित न होने तथा देय राजस्व बकाया न होने का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र लिफाफा 'अ' में प्रस्तुत करना होगा।

14. निविदा स्वीकृत होने पर इसकी सूचना लिखित में सफल निविदाकार को दी जाएगी जिसे वैधानिक रीति से क्रेता के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा। इस हेतु अधिकतम पांच दिवस का समय दिया जाएगा। किन्तु निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने की तिथि से ही सफल निविदाकार द्वारा कार्य, जैसे कागज की खरीदी एवं प्रुफ कॉपी तैयार करने का कार्य आरंभ कर दिया जायेगा।

15. निविदा आवेदन पत्र में दर्शायी गयी पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु की संख्या एवं प्रत्येक पाठ्यपुस्तक के पृष्ठों की संख्या अनुमानित है। अनुबंद निष्पादित करते समय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मुद्रित की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु की संख्या एवं प्रत्येक पाठ्यवस्तु के पृष्ठों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

16. संबंधित कार्य एवं निविदा के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवादों के निराकरण हेतु मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत सचिव, स्कूल शिक्षा सोल आर्बीट्रेटर होंगे एवं उनके द्वारा लिए गए निर्णय दोनों पक्षों को मानने हेतु बंधनकारी होंगे। इस अनुबंध से उद्भूत होने वाले समस्त विवाद छत्तीसगढ़ न्यायालयों की क्षेत्राधिकारिता के अध्यधीन होंगे।

17. पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु के मुद्रण की गुणवत्ता परिषद् कार्यालय में रखी गयी सैंपल पुस्तिका के अनुसार होनी चाहिए। निविदाकार इस सैंपल पुस्तिका का अवलोकन कर ले। निर्धारित गुणवत्ता की पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु के मुद्रण एवं वितरण का संपूर्ण दायित्य निविदाकार का होगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि एक भी पाठ्यवस्तु जो निर्धारित गुणवत्ता का न हो, उसे वह अपने परिसर में ही नष्ट कर दें और किसी भी स्थिति में इसका वितरण न हो। क्रेता द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी/संस्था द्वारा निविदादाता द्वारा वितरित पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु की यादृश्यिक (Random) चयन के आधार पर नमूना जाँच की जायेगी जिसमें किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर समानुपातिक रूप से पेनाल्टी निविदादाता पर अधिरोपित किया जावेगा।

18. सभी स्थिति बराबर होने पर छत्तीसगढ़ राज्य के मुद्रक को वरीयता दी जा सकेगी, परंतु यह आवश्यक एवं अनिवार्य नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए ऐसे मुद्रक जिनका कार्यालय विधिवत् छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, उसे छ. ग. राज्य का मुद्रक माना जावेगा।

19. मुद्रण कार्य के संबंध में मुद्रकों के मुद्रणालय का स्थल निरीक्षण एवं सौंपे कार्य की प्रगति की जानकारी लेने हेतु संचालक एस.सी.ई.आर.टी. या उनके द्वारा अधिकृत निरीक्षणकर्ता अधिकारी/अधिकारियों को अधिकार होगा। मुद्रक निरीक्षणकर्त्ता अधिकारियों को निरीक्षण कराने एवं उनकी प्रेक्षा के अनुसार आवश्यक जानकारी निरीक्षणकर्त्ता अधिकारी के पूर्ण संतुष्टी तक उपलब्ध करायेगा।

20. प्रदेश के बाहर के सफल निविदाकार को अनुबंध निष्पादन के समय रायपुर में अपना अधिकृत एजेंट नियुक्त कर उसकी सूचना संचालक परिषद् को देना अनिवार्य होगा जो समय-समय पर पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु के मुद्रण एवं वितरण की अद्यतन जानकारी परिषद् को देता रहेगा। निविदाकार से संबंधित समस्त पत्राचार परिषद् द्वारा उक्त अधिकृत एजेंट को उपलब्ध कराया जावेगा और उक्त एजेंट की दिनांकित पावती को समस्त कार्यवाहियों के लिए संदर्भ मान्य किया जावेगा।

भाग 2 – आवश्यक सामग्री/सेवाओं का विवरण

1. **आवश्यकताओं की अनुसूची –**

पाठ्यपुस्तकों/सेवाओं की सूची निम्नानुसार है –

a) मुद्रित की जाने वाली सभी पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु को दो खंडों में मुद्रण किया जाना है। इनके पृष्ठों पर मुद्रण समान एवं आकर्षक इंक में हो।

b) समस्त इलेस्ट्रेशन एवं चित्रांकन उत्तम इंक एवं रंग से विषयवस्तु के अनुरूप एवं समीपस्थ मुद्रित करें।

c) पुस्तकों के पाठ्यवस्तु की बाइंडिंग साइड दो पिन स्टिचिंग होगा।

d) बाइंडिंग एवं कटिंग के बाद मुद्रण उपरांत चारों ओर का हाशिया क्षेत्र एक से.मी. की चौड़ाई में हो।

e) पाठ्यपुस्तकों के प्रथम खंड के पाठ्यवस्तु का आकार, कलर, अनुमानित पृष्ठ संख्या, माध्यम एवं अनुमानित संख्या निम्नानुसार है :

स. क्र.	पुस्तक (पाठ्यवस्तु) का नाम	पुस्तक (पाठ्यवस्तु) का आकार (Finished size)	पृष्ठ संख्या (अनुमानित)	माध्यम	अनुमानित संख्या (नग)
1	हिन्दी (सिंगल कलर)	20×27 cm.	40	हिन्दी	7000
2	अंग्रेजी (सिंगल कलर)	20×27 cm.	48	अंग्रेजी	7000
3	संस्कृत (सिंगल कलर)	20×27 cm.	40	हिन्दी	7000
4	गणित (सिंगल कलर)	20×27 cm.	152	हिन्दी	7000
5	विज्ञान (सिंगल कलर)	20×27 cm.	96	हिन्दी	7000
6	सामाजिक विज्ञान(सिंगल कलर)	20×27 cm.	56	हिन्दी	7000
	कुल				42,000

f) पाठ्यपुस्तक के द्वितीय खंड के पाठ्यपुस्तक का आकार, कलर, माध्यम एवं अनुमानित संख्या उपरोक्तानुसार ही होगा किन्तु पृष्ठ संख्या दोगुना से अधिक संभावित है।

g) प्राप्त दरों के अनुसार क्रेता से दो बार अनुबंध किया जायेगा। प्रथम खंड के संबंध में यह अनुबंध मार्च के प्रथम सप्ताह एवं द्वितीय खंड के लिए मई–जून में संभावित है।

h) अनुबंध के समय क्रेता द्वारा प्रत्येक पाठ्यपुस्तक के पाठ्यवस्तु के पृष्ठ एवं प्रतियों की वास्तविक संख्या बताई जायेगी। पाठ्यवस्तु के वास्तविक पृष्ठों में अन्तर होने पर पृष्ठों की वृद्धि/कमी के लिए न्यूनतम निविदा दर का समानुपातिक दर मान्य होगा। वितरित की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों की विकासखण्डवार जानकारी पृथक से दी जाएगी जिसके

Scanned by CamScanner

अनुसार संबंधित कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों तक पाठ्यपुस्तकें पहुँचानी होगी। ये मुख्यालय हैं- अंबिकापुर (जिला अंबिकापुर), धरसीवा (जिला रायपुर), खैरागढ़ (जिला राजनांदगांव) एवं नरहरपुर (जिला कांकेर)।

i) निविदा स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होते ही उसी तिथि में सफल निविदादाता को क्रेता से प्रत्येक पाठ्यपुस्तक के पाठ्यवस्तु की सी.डी. (PDF फाईल) एवं हार्ड कॉपी (सुधार दर्शाते हुए, यदि कोई सुधार होगा तो) प्राप्त करनी होगी और पाँच दिवस के भीतर प्रुफ कॉपी अनुमोदन हेतु परिषद् में प्रस्तुत करना होगा। अनुमोदित प्रिंट मॉडल का ही मुद्रण किया जावेगा।

j) प्रूफ कॉपी के अनुमोदन के 15 दिन के भीतर मुद्रक द्वारा क्रेता को सभी पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु की 100-100 मॉडल प्रतियां निःशुल्क प्रदान करना होगा।

k) मुद्रण कार्य समाप्ति उपरांत सी.डी./बटर/पाण्डुलिपि क्रेता को मूलतः निःशुल्क वापस करनी होगी।

l) समय पर कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्य का प्रबंधन करने के उद्देश्य से सफल निविदाकार को अनुबंध के समय मुद्रण एवं वितरण कार्यो के विभिन्न अवयवों का CPM PERT Chart प्रस्तुत करना होगा तथा कार्य की प्रगति के बारे में समय-समय पर संचालक, एस.सी.ई.आर.टी., रायपुर को अवगत कराना होगा।

2. <u>तकनीकी विवरण</u> :-

a) विशिष्टीकृत कागज -

निविदादाता द्वारा निम्नानुसार विशिष्टीकृत कागज का क्रय कर पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण किया जायेगा।
सामान्य पृष्ठ - न्यूनतम 80 जी.एस.एम.मैपलिथो पेपर, बी.आई.एस. स्पेसिफिकेशन्स क्रमांक 1848-2007 विथ लेटेस्ट अमेन्डमेन्ट्स अप टू डेट।
कव्हर पृष्ठ - क्राफ्ट पेपर दोनों साइड ग्लेज्ड, 80 जी.एस.एम.

b) निविदादाता के पास उपरोक्तानुसार कार्य संपन्न करने के लिए आवश्यक तकनीकी अर्हताएँ होनी चाहिए। प्रमाण स्वरूप निम्नानुसार आवश्यक दस्तावेज (सत्यापित) भी तकनीकी लिफाफा 'अ' में प्रस्तुत किया जावेगा।

(1) पुस्तकों के पाठ्यवस्तु से संबंधित सामग्री का शैक्षणिक संस्थानों के लिए मुद्रण एवं वितरण का पिछले कम से कम दो वर्षों का अनुभव हो। प्रमाण स्वरूप पूर्व में मुद्रित एक या अधिक पुस्तकों का सेम्पल तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जाये।

(2) मुद्रण कार्य में विगत (01) वर्ष का टर्न-ओव्हर न्यूनतम रू. दस लाख या उससे अधिक होने पर ही निविदादाता निविदा में भाग ले सकेगा तथा इस संबंध में विगत दो वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न एवं चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित बैलेन्स शीट प्रस्तुत करेगा।

(3) वैध बिक्रीकर भुगतान प्रमाण-पत्र (अंतिम तिमाही का) एवं बिक्रीकर पंजीयन संबंधित अद्यतन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही निविदादाता/पार्टनर/कम्पनी का पेनकार्ड की प्रति संलग्न करना होगा।

(4) मुद्रण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना होगा।

3. पाठ्यपुस्तकों हेतु विशिष्टीकृत कागज का क्रय, मुद्रण एवं निर्धारित विकासखण्डों तक वितरण करने हेतु अवधि :-

पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु हेतु विशिष्टीकृत कागज का क्रय, मुद्रण एवं निर्धारित स्थल तक परिवहन कराकर वितरण करने के लिए 25 दिनों का समय दिया जायेगा। इस हेतु अवधि की गणना क्रेता के द्वारा पाठ्यपुस्तकों के प्रुफ कॉपी के अनुमोदन की तिथि से किया जायेगा।

4. पाठ्यपुस्तक पाने वाले का विवरण :-

a) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर (जिला अंबिकापुर)।

b) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धरसीवा (जिला रायपुर)।

c) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी खैरागढ़ (जिला राजनांदगांव)।

d) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नरहरपुर (जिला कांकेर)।

Part III – Standard and Special Conditions

The Bidder is required to give confirmation of their acceptance of these conditions of the Tender Application Form mentioned below which will automatically be considered as part of the Contract concluded with the successful Bidder (i.e. Seller in the Contract) as selected by the Buyer. Failure to do so may result in rejection of the Bid submitted by the Bidder.

1. **Law**: The Contract shall be considered and made in accordance with the laws of the Republic of India. The contract shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of India.
2. **Effective Date of the Contract**: Normally the contract shall come into effect on the date of signatures of both the parties on the contract except when some other effective date is mutually agreed to and specifically indicated / provided in the contract. The deliveries and supplies and performance of the services shall commence from the effective date of the contract.
3. **Arbitration**: All disputes or differences arising out of or in connection with the Contract shall be settled by bilateral discussions. Any dispute, disagreement or question arising out of or relating to the Contract or relating to construction or performance, which cannot be settled amicably, may be resolved through arbitration. Please also refer to para 16 of Part-I of the tender application form in this regard.
4. **Penalty for use of Undue influence**: The Seller undertakes that he has not given, offered or promised to give, directly or indirectly, any gift, consideration, reward, commission, fees, brokerage or inducement to any person in service of the Buyer or otherwise in procuring the Contracts or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the obtaining or execution of the present Contract or any other Contract with the SCERT, Chhattisgarh or any organization of Government of Chhattisgarh for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the present Contract or any other Contract with the SCERT, Chhattisgarh or any organization of Government of Chhattisgarh. Any breach of the aforesaid undertaking by the Seller or anyone employed by him or acting on his behalf (whether with or without the knowledge of the Seller) or the commission of any offers by the Seller or anyone employed by him or acting on his behalf, as defined in Chapter IX of the Indian Penal Code, 1860 or the Prevention of Corruption Act, 1986 or any other Act enacted for the prevention of corruption shall entitle the Buyer to cancel the contract and all or any other contracts with

the Seller and recover from the Seller the amount of any loss arising from such cancellation. A decision of the Buyer or his nominee to the effect that a breach of the undertaking had been committed shall be final and binding on the Seller. Giving or offering of any gift, bribe or inducement or any attempt at any such act on behalf of the Seller towards any officer/employee of the Buyer or to any other person in a position to influence any officer/employee of the Buyer for showing any favour in relation to this or any other contract, shall render the Seller to such liability/ penalty as the Buyer may deem proper, including but not limited to termination of the contract, imposition of penal damages, forfeiture of the Bank Guarantee and refund of the amounts paid by the Buyer.

5. **Agents / Agency Commission**: The Seller confirms and declares to the Buyer that the Seller is the original provider of the services referred to in this Contract and has not engaged any individual or firm, to intercede, facilitate or in any way to recommend to the Government of Chhattisgarh or any of its functionaries, whether officially or unofficially, to the award of the contract to the Seller; nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual or firm in respect of any such intercession, facilitation or recommendation. The Seller agrees that if it is established at any time to the satisfaction of the Buyer that the present declaration is in any way incorrect or if at a later stage it is discovered by the Buyer that the Seller has engaged any such individual/firm, and paid or intended to pay any amount, gift, reward, fees, commission or consideration to such person, party, firm or institution, whether before or after the signing of this contract, the Seller will be liable to refund that amount to the Buyer. The Seller will also be debarred from entering into any supply Contract with the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years. The Buyer will also have a right to consider cancellation of the Contract either wholly or in part, without any entitlement or compensation to the Seller who shall in such an event be liable to refund all payments made by the Buyer in terms of the Contract along with interest at the rate of 2% per annum above LIBOR rate. The Buyer will also have the right to recover any such amount from any contracts concluded earlier with the Government of Chhattisgarh.

6. **Access to Books of Accounts**: In case it is found to the satisfaction of the Buyer that the Seller has engaged an Agent or paid commission or influenced any person to obtain the contract as described in clauses relating to Agents/Agency Commission and penalty for use of undue influence, the Seller, on a specific request of the Buyer, shall provide

necessary information/ inspection of the relevant financial documents/information.

7. **Non-disclosure of Contract documents**: Except with the written consent of the Buyer/ Seller, other party shall not disclose the contract or any provision, specification, plan, design, pattern, sample or information thereof to any third party.

8. **Liquidated Damages**: In the event of the Seller's failure to submit the Bonds, Guarantees and Documents, supply the textbooks, etc as specified in this contract, the Buyer may, at his discretion, withhold any payment until the completion of the contract. The BUYER may also deduct from the SELLER as agreed, liquidated damages as elaborated in para 1, Part IV of the tender application form.

9. **Notices**: Any notice required or permitted by the contract shall be written in the Hindi/English language and may be delivered personally or may be sent by FAX or registered pre-paid mail/airmail, addressed to the last known address of the party to whom it is sent.

10. **Transfer and Sub-letting**: The Seller has no right to give, bargain, sell, assign or sublet or otherwise dispose of the Contract or any part thereof, as well as to give or to let a third party take benefit or advantage of the present Contract or any part thereof.

11. **Amendments**: No provision of present Contract shall be changed or modified in any way (including this provision) either in whole or in part except by an instrument in writing made after the date of this Contract and signed on behalf of both the parties and which expressly states to amend the present Contract.

12. **Performance Guarantee**: The Bidder will be required to furnish a Performance Guarantee by way of Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt, Banker's Cheque or Bank Guarantee through a public sector bank or a private sector bank authorized to conduct government business (ICICI Bank Ltd., Axis Bank Ltd or HDFC Bank Ltd.) for a sum equal to 10% of the contract value within 10 days of receipt of the confirmed order. Performance Bank Guarantee should be valid up to 12 months beyond the date of confirmed order. The specimen of PBG is given in **Annexure IV**

13. **Tolerance Clause** : To take care of any change in the requirement during the period starting from issue of Tender Application Form till placement of the contract, Buyer reserves the right to 10% plus/minus increase or decrease the quantity of the required goods upto that limit without any change in the terms & conditions and prices quoted by the Seller. While awarding the contract, the quantity ordered can be increased or decreased by the Buyer within this tolerance limit.

14. **Payment Terms :** It will be mandatory for the Bidders to indicate their bank account numbers and other relevant epayment details so that payments could be made through ECS/EFT mechanism instead of payment through cheques, wherever feasible. A copy of the model mandate form prescribed by RBI to be submitted by Bidders for receiving payments through ECS is at **Annexure V**. The payment will be made as explained in Part IV of the Tender Application Form.

6/2/16

भाग 4 – पेनाल्टी एवं भुगतान

इस निविदा आवेदन पत्र में वर्णित शर्तो के उल्लंघन पर निम्नानुसार पेनाल्टी अधिरोपित किया जावेगा जिसकी पूर्ति मुद्रक के देयक या उनके द्वारा जमा Performemce Guarantee या लंबित भुगतान या दोनों से किया जा सकेगा।

1. पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु के निर्धारित स्थलों पर आपूर्ति में विलंब होने पर प्रति पुस्तक के मूल्य का 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलंब की पेनाल्टी लगाई जाएगी जो कि अधिकतम 10 दिवस विलंब के लिए होगी। इसके पश्चात् यह पेनाल्टी 1.0 प्रतिशत प्रतिदिन प्रति पाठ्यपुस्तक हो जावेगी जो कि अतिरिक्त 10 दिवस विलंब तक ही मान्य होगी। इससे अधिक विलंब होने पर पाठ्यपुस्तकों का भुगतान नहीं किया जावेगा जिसके लिए मुद्रक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

2. पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु के मुद्रण में त्रुटि पाए जाने पर तथा यह स्पष्ट होने पर कि उक्त त्रुटियाँ मुद्रक से हुई हैं, सामग्री मुद्रक को वापस कर दिया जायेगा और उसे इसे दुबारा मुद्रण करना होगा।

3. किसी भी पाठ्यपुस्तक के पाठ्यवस्तु में बाईडिंग/कटिंग/पेस्टिंग आदि में कमी या स्तर निम्न पाए जाने पर या सामग्री में हल्का/अस्पष्ट मुद्रण या धब्बा पाए जाने पर उस शीर्षक की पाठ्यपुस्तक के पाठ्यवस्तु के कुल मूल्य का 2 प्रतिशत की राशि की कटौत्री की जावेगी।

4. पाठ्यवस्तु के मुदण में किसी भी प्रकार की तथ्यात्मक गलती या अन्य भ्रामक जानकारी मुद्रित होने पर तथा यह पाए जाने पर कि उक्त गलती मुद्रक से हुई है तो मुद्रक के द्वारा जमा की गई Performemce Guarantee पूर्णतः राजसात कर लिया जावेगा और उनको कोई भुगतान भी नहीं किया जायेगा तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

5. पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु के मुद्रण हेतु निर्धारित मानकों के कागज का ही उपयोग किया जाना है। यदि प्रयुक्त कागज के मानकों में कमी पाई जाती है तो प्रति मानक कमी की गणना प्रतिशत में की जाकर पाए गए प्रतिशत के दुगुनी राशि की कटौत्री पूरे पाठ्यवस्तु के भुगतान के समय की जाएगी।

भुगतान :–

1. पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु के कागज की गुणवत्ता एवं मुद्रण संबंधी कोई शिकायत न पाए जाने पर तथा पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु की समय से आपूर्ति का विवरण प्राप्तकर्ता से प्राप्त होते ही कुल देयक के 80 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।
2. मुद्रक के देयक की शेष राशि का भुगतान आपूर्ति की गई पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु के नमूना परीक्षण कर सभी मापदण्ड सही पाए जाने पर किया जावेगा तथा कमी पाए जाने पर प्रस्तावित पेनाल्टी कंडिकाओं के अनुसार कटौती की जावेगी। पेनाल्टी पश्चात् शेष देय राशि का भुगतान किया जावेगा।

6/4/16

भाग 5 – मूल्यांकन का मानदण्ड एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र

1. मूल्यांकन का मानदण्ड –

निविदाओं के मूल्यांकन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नानुसार है –

a) केवल उसी निविदा का मूल्यांकन किया जायेगा जो निविदा आवेदन पत्र के अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय दोनो अर्हताएं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

b) निविदाकार द्वारा जमा किये गये तकनीकी निविदा का मूल्यांकन निविदा आवेदन पत्र में वर्णित तकनीकी आवश्यकता के संदर्भ में किया जायेगा। तकनीकी निविदा से यह स्पष्ट होने पर कि निविदादाता निविदा आवेदन पत्र में वर्णित आवश्यकता की पूर्ति करने सक्षम है, ऐसे निविदादाताओं का वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

c) निविदाकार द्वारा प्रपत्र **Annexure-II** में भरी गई दरों के आधार पर न्यूनतम निविदा के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। न्यूनतम दरों की गणना करते समय यह माना जायेगा की निविदादाता द्वारा समस्त करों, उपकरों एवं ड्यूटी को जोड़कर दरे भरी गई है। क्रेता द्वारा कुल भुगतान की जाने वाली राशि के आधार पर प्राप्त वित्तीय निविदाओं की क्रम सूची बनाई जायेगी।

d) जहाँ भी इकाई दर से कुल दरों की गणना में भिन्नता पायी जायेगी, इकाई दर में कुल संख्या से गुणा कर कुल दरों में सुधार किया जायेगा। यदि निविदादाता द्वारा शब्दों एवं अंको मे दी गई जानकारियों में भिन्नता है तो शब्दों में दी गई जानकारी को मान्य किया जायेगा।

e) न्यूनतम स्वीकार निविदा को अनुबंध/कार्यादेश जारी करने के लिए आवश्यकतानुसार क्रेता द्वारा स्पष्टीकरण एवं निगोसियेशन के बाद विचार किया जायेगा। क्रेता के पास यह अधिकार होगा कि वह पाठ्यपुस्तकवार पाठ्यवस्तु का कार्यादेश जारी कर सकेगा।

f) कोई अतिरिक्त तरीका जो किसी खास स्थिति में उपयुक्त हो, के अनुसार क्रेता निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

Annexure - I

TECHNICAL BID
For Printing, Binding and Distribution of Textbooks (for the Academic Year 2016-17)

(तकनीकी लिफाफा 'अ' में जमा करें)

1. Name of the Press : ....
2. Full Address - Office : ....
....

Works : ....
....
....

3. Status : Proprietry / Partnership / Corporation / Limited Co. / Society etc.

4. Telephone No. - : ....
   Office
   Works : ....
   Fax No. : ....
   E-Mail Address : ....
5. Name of the Proprietor / Partners/ Directors : ....
....

   Mobile No. : ....
....

   Residential Address : ....
....

6. No. of Units, if any and their Names, Addresses and Telephone No./ Fax No./ E-Mail Address : ....
....
....
....
....

7. Details of Earnest Money Deposit enclosed :
....
....
....
....

8. Statutory permissions required for running a printing press. : ....
....
....

(a) The Factories Act 1948 : Registration No. Date

OR

(a) Shops & Establishments: Act 1948 or / relevant State Act : Registration No. Date

9. Is your firm registered under following Acts ? If so, please furnish details :

(a) The Indian Companies Act, 1956 : Registration No. Date

(b) The Indian Partnership Act, 1932 : Registration No. Date

(c) Societies Registration Act, 1860 : Registration No. Date

(d) A sole proprietory printing press. : ....

10. Printing Machinery * :

(a) **Sheet-fed Offset**

Size	**Make**	**Year**	**No. of Colours**	**Nos.**

(Attach separate list, if necessary)

*(Should match with the bill of machines submitted)

6/2/16

(b) **Web Offset with 578 mm Cut off ***

	M/C No.1	M/C No.2	M/C No.3	M/C No.4	M/C No.5
(1) Make					
(2) Year					
(3) No.of Colours					
(4) Speed per hr.					
(5) Width/cut off					
(6) Any other					

If the numbers of machines are more than five, enclose a separate sheet.

*(should match with the bill of machines submitted).

(c) H.P. required to run the machine.

(d) Number of persons employed directly or indirectly in your printing press.

1. Directly ....

2. Indirectly (Contract Labour)..

11. Printing capacity per day.

No. of Cols.	No. of Impressions		
	*	*	*
Single Col.			
Two Col.			
Four Col.			

* (Please Mention the type of Machine in the columns.)

12. (a) Nature of Binding machines owned by the tenderer
(enclose layout plan with original bill of machine.)

(b) **Binding Machinery : ***

Binding Machinery	Make	Size	No. of Machines	Automated/Manual	No. of Gathering Stations	Speed Per hour
Cutting Machines						
Gathering Machines						
Stiching Machine						

*(should match with the bill of machines submitted).

Note : (1) The tenderer is expected to give all details in the above format of the bindery owned by tenderer.

13. State your binding capacity : per day in terms of books **No. of Books** Stiching

14. Please indicate firm's commitment
as to how much binding capacity :...
would be made available for SCERT's
work by your bindery :...
No. of copies of Pin Stiching books per day. :..

15. Printers has to submit following :
(a) Current month electricity bill of each unit.
(b) If space is rented – agreement copy of each separate unit.
(c) If space is owned – separate land registry paper of separate unit.

16. (a) Complete insurance particulars:
and stock against theft, fire, burglary etc.

(b) State whether SCERT's :..
material and goods viz.,
printed material etc. would be covered
by insurance ?

17. Are you doing textbook printing work for any State in India. If yes,

6/2/16

(a) For which State/States

....

....

(b) Since when

....

....

(c) How many copies of books you have printed in academic year 2013-14, 2014-15, 2015-16 (certified by Technical Head of Firm/Company or by Properitor)

....

....

(d) Please obtain Performance certificate from the concerned office , where you are doing printing work and enclosed with tender form.

....

....

- :: DECLARATION :: -

I .... S/O Shri .... proprieter/partner .... (Name oF Form) here by declare that the information given in this form is correct and true and if any information is found to be untrue or false, the tender is liable tobe rejected.

I also solemnly declare any information above is found untrue / false but the order has been placed on the basis of above information, SCERT, Chhattisgarh is at liberty to cancel the order.

Tenderer's Official Signatory
Name and Designation with Rubber Stamp
or Official Seal of the Firm

Date :

Place :

6/7/16

(Annexure - II)
Financial Bid

(लिफाफा 'ब' में जमा करें)

"मुद्रण/वितरण हेतु प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु का विवरण"

1. कृपया पुस्तक के पाठ्यवस्तु की दरें अंकों एवं शब्दों में भरें -(खण्ड 'अ')

स. क्र.	पुस्तक (पाठ्यवस्तु) का नाम	कलर	पुस्तक के पाठ्यवस्तु का आकार (Finished size)	पृष्ठ संख्या (कव्हर पृष्ठ छोड़कर)	माध्यम	अनुमानित संख्या (नग)	प्रस्तावित दर प्रति 08 पृष्ठ फार्म के लिए रू. (अंको में एवं शब्दों में)
1	हिन्दी	सिंगल कलर	20×27 cm.	40	हिन्दी	7000	
2	अंग्रेजी	सिंगल कलर	20×27 cm.	48	अंग्रेजी	7000	
3	संस्कृत	सिंगल कलर	20×27 cm.	40	हिन्दी	7000	
4	गणित	सिंगल कलर	20×27 cm.	152	हिन्दी	7000	
5	विज्ञान	सिंगल कलर	20×27 cm.	96	हिन्दी	7000	
6	सामाजिक विज्ञान	सिंगल कलर	20×27 cm.	56	हिन्दी	7000	
	कुल					42,000	

स. क्र.	उपरोक्त खण्ड- अ के पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यवस्तु के कव्हर हेतु	प्रस्तावित दर प्रति 4 पृष्ठ कव्हर के लिए रू. (अंको में एवं शब्दों में)
1	काफ्ट पेपर 80 जी.एस.एम. दोनो ओर ग्लेज्ड कव्हर की दर	

टीपः- पृष्ठ संख्या खण्ड 'अ' की अनुमानित है। खण्ड 'ब' में पृष्ठ संख्या खण्ड 'अ' से दुगनी से अधिक संभावित है जिसे मई-जून 2016 में मुद्रित कराई जायेगी। खण्ड 'अ' हेतु प्रस्तावित 08 पृष्ठ फार्म की दर एवं कव्हर की दर ही खण्ड 'ब' के लिए मान्य होगी। अतः कृपया कुल कार्य (खण्ड अ+ब) को ध्यान में रखते हुए दर भरें। सभी विषयों हेतु 08 पृष्ठ फार्म की केवल एक दर भरा जाना है। पाठ्यपुस्तक के पाठ्यवस्तु के पृष्ठों की संख्या 08 पृष्ठ के समसंख्या से कम या अधिक होने पर 08 पृष्ठ फार्म की दर की समानुपातिक दर मान्य होगी।

हस्ताक्षर मुद्रक

मुद्रक के संस्था की

सील

पूरा नाम व पता ....

....

....

[signature] 6/4/16

Annexure - III

EMD Bank Guarantee format

Whereas ....(hereinafter called the "Bidder") has submitted their offer dated..for the supply of .... (hereinafter called the "Bid") against the Buyer's Request for proposal No. .... KNOW ALL MEN by these presents that WE ....of .... having our registered office at................................ are bound unto .... (hereinafter called the "Buyer) in the sum of ....for which payment will and truly to be made to the said Buyer, the Bank binds itself, its successors and assigns by these presents. Sealed with the Common Seal of the said Bank this............... day of ....20......

The conditions of obligations are –

(1) If the Bidder withdraws or amends, impairs or derogates from the Bid in any respect within the period of validity of this tender.

(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his tender by the Buyer during the period of its validity.

a) If the Bidder fails to furnish the Performance Security for the due performance of the contract.

b) Fails or refuses to accept/execute the contract. WE undertake to pay the Buyer up to the above amount upon receipt of its first written demand, without the Buyer having to substantiate its demand, provided that in its demand the Buyer will note that the amount claimed by it is due to it owing to the occurrence of one or both the two conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This guarantee will remain in force upto and including 45 days after the period of tender validity and any demand in respect thereof should reach the Bank not later than the above date. ....

(Signature of the authorized officer of the Bank)

Name and designation of the officer Seal, name & address of the Bank and address of the Branch 374

Annexure - IV

Performance Bank Guarantee Format

From:

Bank ______________

To,

The Director,

SCERT, Chhattisgarh,

BTI Campus, Shankarnagar, Raipur

Dear Sir,

Whereas you have entered into a contract No.______ dated________ (hereinafter referred to as the said Contract) with M/s_________________________, hereinafter referred to as the "seller" for supply of goods as per Part-II of the said contract to the said seller and whereas the Seller has undertaken to produce a bank guarantee for *(10 %)* of total Contract value amounting to ________ to secure its obligations to Director SCERT, Chhattisgarh. We the ______________ bank hereby expressly, irrevocably and unreservedly undertake and guarantee as principal obligors on behalf of the seller that, in the event that the Director SCERT, Chhattisgarh declares to us that the goods have not been supplied according to the Contractual obligations under the aforementioned contract, we will pay you, on demand and without demur, all and any sum up to a maximum of ___________Rupees ____________ only. Your written demand shall be conclusive evidence to us that such repayment is due under the terms of the said contract. We undertake to effect payment upon receipt of such written demand.

2. We shall not be discharged or released from this undertaking and guarantee by any arrangements, variations made between you and the Seller, indulgence to the Seller by you, or by any alterations in the obligations of the Seller or by any forbearance whether as to payment, time performance or otherwise.

3. In no case shall the amount of this guarantee be increased.

4. This guarantee shall remain valid for twelve months from the date of issue of confirmed order to the Seller according to the contractual obligations under the said contract.

6. Unless a demand or claim under this guarantee is made on us in writing or on before the aforesaid expiry date as provided in the above referred contract or unless this guarantee is extended by us, all your rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be discharged from the liabilities hereunder.

7. This guarantee shall be a continuing guarantee and shall not be discharged by and change in the constitution of the Bank or in the constitution of M/s__________________________

Annexure -V

Model ECS Mandate Format

Customer's option to receive payments through e-Payment (ECS/ EFT/ DIRECT / RTGS/ NEFT/ Other payment mechanism as approved by RBI.)

Credit Clearing Mechanism

1. Customer's name
2. Particulars of Bank Account –
   a) Bank name
   b) Branch name
   c) Address
   d) Telephone numbers
   e) IFS code
   f) 9 Digit code number of Bank and Branch appearing on MICR cheque issued by Bank
   g) Account Type (S.B. Account / Current Account or Cash)
   h) Ledger number
   i) Ledger Folio number
   j) Account number as appearing on Cheque Book
3. Please attach a blank cancelled cheque, or, photocopy of a cheque or front page of your savings bank passbook issued by your bank for verification of the above particulars.
4. Date of Effect

"I, hereby, declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the user institution responsible. I have read the option invitation letter and agree to discharge the responsibility expected of me as a participant under scheme."

(....................................)

Date:

Signature of Customer Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

Bank's Stamp:

(....................................)

Date:

Signature of the Authorized Official from the Bank